फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भंवर कुंवर उर्फ रूपकुंवर बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 29/23

कमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.07.2024

पत्रावली पेश हुइ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि प्रार्थीया को प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई है। विरासत के नामान्तरण के समय प्रार्थीया का घर का नाम रूपकुंवर अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम भंवर कुंवर अंकित हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का नाम रूपकुंवर के स्थान पर भंवरकुंवर उर्फ रूपकुंवर किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ती नहीं जताई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की मौके पर उपस्थित मोतबिरानों द्वारा बताया गया की रूपकुंवर एवं भंवरकुंवर एक ही महिला का नाम है। पटवारी हल्का द्वारा अपने मौके पर्चे में भी रूपकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह एवं भंवरकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया साथ ही बताया की भंवरकुंवर को ही लाड़ प्यार से घर में बोलचाल की भाषा में रूपकुंवर के नाम से बुलाते हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भंवरकुवर पत्नी धुलसिंह, भैरूसिंह पिता गोविन्द सिंह का पेश किया साथ ही आधार कार्ड की प्रति व कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहाड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया की भंवरकुंवर एवं रूपकुंवर एक ही महिला है जो कि गोविन्द सिंह की पुत्री है तथा व्यक्तिगत रूप से जानना बताया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या [illegible] 60, 58, 57 में अंकित खातेदार रूपकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह के नाम को संशोधित कर [illegible] हुए रूपकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह के बजाय भंवरकुंवर उर्फ रूपकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह [illegible] जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तूर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:23:27 IST
Reason: SelfAttested